रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2014/चैत्र 11, 1936
No. 184] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2014/CHAITRA 11, 1936

indiacode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि 253 (अ).—**केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम**, 2013 **की धारा** 469 **के साथ पठित धारा** 455, **धारा** 459 **की उपधारा** (2) **और धारा** 464 **की उपधारा** (1) **द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररुप**, 1956 **अथवा इन नियमों के अधीन विहित किसी अन्य नियम पर कंपनी अधिनियम**, 1956 (1956 **का** 1) **के अधीन विहित किसी अन्य नियम, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्** :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) **इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी, (प्रकीर्ण) नियम** 2014 **है।**

(2) **ये नियम** 01 **अप्रैल**, 2014 **को प्रवृत्त होंगे।**

2. **परिभाषाएं** .—(1) **इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—**

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 **का** 18) **अभिप्रेत है;**

(ख) "उपाबंध" से इन नियमों से संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है;

(ग) "फीस" से कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 **में विहित फीस अभिप्रेत है;**

(घ) "प्ररुप" अथवा "ई-प्ररुप" से इन नियमों के उपाबंध में दिया प्ररुप अभिप्रेत है जिसका प्रयोग उस मामले में किया जाएगा जिससे यह संबंधित हैं;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों के प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है और अधिनियम या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देशन) नियम, 2014 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो क्रमश: इस अधिनियम या उक्त नियम में उनके हैं ।

3. निष्क्रिय कंपनी की प्रास्थिति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन.—धारा 455 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ, कोई कंपनी धारा 455 के उपबंधों के अनुरूप निष्क्रिय कंपनी की प्रास्थिति अभिप्राप्त करने के लिए कंपनी की साधारण बैठक में इस आशय का विशेष संकल्प पारित करने के बाद अथवा इस प्रयोजन से कंपनी के सभी शेयर धारकों को नोटिस जारी करके और कम-से-कम तीन-चौथाई शेयर धारकों (मूल्य में) की सहमति प्राप्त करने के बाद कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविहित फीस के साथ प्ररुप प्रकीर्ण-1 में आवेदन कर सकता है:

परंतु कोई कंपनी इस नियम के अधीन आवेदन करने के लिए तभी पात्र होगी यदि—

(i) कंपनी के विरूद्ध कोई निरीक्षण, जांच अथवा अन्वेषण का आदेश नहीं दिया गया है अथवा शुरू किया गया हो अथवा किया गया हो;

(ii) कंपनी के विरूद्ध किसी विधि के अधीन कोई अभियोजन प्रारंभ नहीं हुआ हो और लंबित हो;

(iii) कंपनी के पास न तो कोई बकाया लोक निक्षेप हो और न ही कंपनी उसकी या उस पर ब्याज की अदायगी में चूककर्ता हो;

(iv) कंपनी के पास कोई बकाया उधार हो, चाहे वह प्रतिभूत हो या अप्रतिभूत:

परंतु यदि कंपनी पर कोई बकाया अप्रतिभूत ऋण है तो कंपनी ऋणदाता की सहमति प्राप्त करके और उसे प्ररुप प्रकीर्ण-1 के साथ उसी को संलग्न करके इस नियम के अधीन आवेदन कर सकती है।

(v) कंपनी के प्रबंधन अथवा स्वामित्व में कोई विवाद न हो और इस संबंध में एक प्रमाण पत्र प्ररुप प्रकीर्ण-1 के साथ संलग्न हो।

(vi) कंपनी पर केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों आदि को देय कोई कानूनी कर, देय राशि, फीस आदि बकाया न हो;

(vii) कंपनी ने कर्मकारों के बकायों के भुगतान में कोई चूक न की हो;

(viii) कंपनी की प्रतिभूतियां भारत में अथवा भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हों।

4. निष्क्रिय कंपनी की स्थिति का प्रमाण-पत्र.—रजिस्ट्रार, प्ररुप प्रकीर्ण-1 में फाइल आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, आवेदक को निष्क्रिय कंपनी की स्थिति की अनुमति देते हुए प्ररुप प्रकीर्ण-2 में एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

5. निष्क्रिय कंपनी का रजिस्टर.—कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट www.mca.gov.in पर अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य वेबसाइट पर रखे गए पोर्टल के अधीन बनाया गया रजिस्टर निष्क्रिय कंपनियों का रजिस्टर होगा।

6. **निष्क्रिय कंपनी के लिए निदेशकों की न्यूनतम संख्या.—किसी निष्क्रिय कंपनी के लिए, किसी सार्वजनिक कंपनी के मामले में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे, किसी प्राइवेट कंपनी के मामले में दो निदेशक और एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में एक निदेशक होगा।**

परंतु अधिनियम के लेखापरीक्षकों के चक्रानुक्रम से संबंधित उपबंध निष्क्रिय कंपनियों पर लागू नहीं होंगे।

7. **निष्क्रिय कंपनियों की विवरणी.—निष्क्रिय कंपनी वार्षिक आधार पर किसी वित्त वर्ष की समाप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर "निष्क्रिय कंपनी विवरणी" फाइल करेगी जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विहित वार्षिक फीस के साथ प्ररुप प्रकीर्ण-3 में व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा विहित रूप से लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति दर्शाई गई हो:**

परंतु जब भी कंपनी किसी व्यक्ति को कोई प्रतिभूति आबंटित करती है अथवा कंपनी के निदेशकों में कोई परिवर्तन होता है तब अधिनियम में विनिर्दिष्ट रीति से और समय के भीतर आबंटन का विवरण और निदेशकों में परिवर्तन के विवरण कंपनी द्वारा फाइल किए जाते रहेंगे ।

8. **सक्रिय कंपनी की प्रास्थिति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन.—(1) किसी सक्रिय कंपनी की प्रास्थिति अभिप्राप्त करने हेतु धारा 455 की उपधारा (5) के अधीन कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा उपबंधित फीस के साथ प्ररुप प्रकीर्ण-4 में आवेदन किया जाएगा और यह आवेदन उस वित्त वर्ष के संबंध में जिसके लिए सक्रिय कंपनी की स्थिति के लिए आवेदन किया जा रहा है, प्ररुप प्रकीर्ण-3 में विवरण भी संलग्न किया जाएगाः**

परंतु रजिस्ट्रार किसी कंपनी का नाम हटाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करेगा यदि कंपनी लगातार पांच वर्षों की अवधि हेतु निष्क्रिय कंपनी बनी रहती है।

(2) **रजिस्ट्रार, उप नियम (1) के अधीन फाइल आवेदन पर विचार करने के पश्चात आवेदक को सक्रिय कंपनी की स्थिति की अनुमति देते हुए प्ररुप प्रकीर्ण-5 में प्रमाण-पत्र जारी करेगा।**

(3) **जहां कोई निष्क्रिय कंपनी, निष्क्रिय कंपनी की प्रास्थिति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदक के समक्ष प्रस्तुत प्ररुप प्रकीर्ण-1 में दिए गए आवेदन के कारण में उद्धृत कोई कार्य करता है अथवा नहीं करता है, जिससे निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्रभावित होती हो, वहां निदेशक ऐसी घटना के सात दिनों के भीतर, इस नियम के उप नियम (1) के अधीन सक्रिय कंपनी की प्रास्थिति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा ।**

(4) **जहां रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण हो कि उसके अधिकारिता के अधीन 'निष्क्रिय कंपनी' के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी किसी भी तरीके से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, कार्य कर रही है, तो वहां वह अधिनियम की धारा 206 के अधीन जांच हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है और यदि, इस संबंध में कंपनी को इस संबंध में युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, यह पाया जाता है कि कंपनी वास्तव में कार्य कर रही है तब, रजिस्ट्रार ऐसी कंपनी का नाम निष्क्रिय कंपनियों के रजिस्टर से हटा सकता है और उसे सक्रिय कंपनी मान सकता है ।**

IndiaCode

9. **केन्द्रीय सरकार को आवेदन हेतु फीस – धारा** 459 **की उपधारा** (2) **के प्रयोजनार्थ अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन**

(क) **उस सरकार द्वारा किसी मामले को, अथवा उसके संबंध में, दिया जाने वाला अनुमोदन, संस्वीकृति, पुष्टि अथवा मान्यता के संबंध में; अथवा**

(ख) **उस सरकार द्वारा किसी मामले के संबंध में दिया जाने वाला कोई निदेश अथवा दी जाने वाली किसी छूट के संबंध में; अथवा**

(ग) **किसी अन्य मामले के संबंध में,**

केन्द्रीय सरकार को किया जाना वाला, अथवा करने हेतु अपेक्षित प्रत्येक आवेदन, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 **में यथाउपबंधित फीस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।**

10. **कतिपय संख्या से अधिक व्यक्तियों का संगम अथवा भागीदारी –**

कोई ऐसा व्यवसाय कारबार करने के प्रयोजन के लिए पचास व्यक्ति या इससे अधिक से मिलकर बननेवाला संगम या भागीदारी तब तक नहीं बनाई जाएगी, जब तक कि यह अधिनियम के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गठित न हो ।

प्रपत्र सं. प्रकीर्ण1.

[नियम के साथ पठित कंपनी 3 की 455 अधिनियम की धारा उप-धारा के अनुसरण में (1)]

सत्यमेव जयते

निष्क्रिय कंपनी की प्रास्थिति अभिप्राप्त करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को आवेदन

प्ररूप की भाषा O अंग्रेजी O हिंदी

प्ररूप फाइल करने के लिए अनुदेश किट देखें।

1. *कंपनी किस अधिनियम के अधीन निगमित है

O कंपनी अधिनियम2013 , O कोई पूर्व कंपनी अधिनियम

2. (क) *सीआईएन [] पर्व परित

(ख) जीएलएन []

3. (क) कंपनी का नाम []

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

[]

(ग(ईमेल आईडी- []

4. कंपनी का प्रकार []

5. कंपनी के निगमन की तारीख

6. संगम ज्ञापन के अनुसार कंपनी का उद्देश्य (एमओए)

7. (क) बोर्ड संकल्प पारित होने की तारीख

(ख) *विशेष संकल्प पारित होने की तारीख

(ग) *विशेष प्रस्ताव हेतु फाइल किए गए प्रस्ताव का एसआरएन

8. (क) *क्या कंपनी के उद्देश्य किसी विशेष अधिनियम के अधीन विनियमित हैं

O हां O नहीं

*(ख) (i) नियामक निकाय का नाम

(ii) निष्क्रिय कंपनी की प्रास्थिति अभिप्राप्त करने हेतु नियामक निकाय का अनुमोदन-अनापत्ति प्रमाण/ पत्र प्राप्त करने की तारीख

(iii) आदेश संख्या

9. (क) *निदेशकों की संख्या

(ख) प्रत्येक निदेशक के संबंध में ब्यौरे

I

(i)	*निदेशक पहचान संख्या (डिन)		पूर्व पूरित
(ii)	नाम		
(iii)	*पदनाम		
(iv)	*वर्ग		

10. *आवेदन के आधार

☐ कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी का गठन और रजिस्ट्रीकरण हुआ है

O किसी भावी परियोजना के लिए।

O कोई आस्ति या बौद्धिक संपदा धारण करने के लिए।

और

- निगमन से अब तक कंपनी का कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार नहीं हुआ है।
- कंपनी से अब तक कोई कारबार नहीं कर रही या प्रचालन में नहीं है।
- कंपनी ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में कोई महत्वपूर्ण लेखांकन संव्यवहार नहीं किया है।
- कंपनी ने पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणी फाइल नहीं की है।

11. (क) *क्या कंपनी की कोई आस्तियां या दायित्व हैं O हां O नहीं

(ख) (i) उस वित्त वर्ष की अंतिम तारीख जिससे अंतिम वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणी संबंधित है

(ii) अंतिम वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख.....

(कंपनी की अंतिम वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणी संलग्न करें)

IndiaCode

(iii) *यदि पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए किसी भी वर्ष में वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणी फाइल नहीं की गई है तो उसका कारण।

(ग) (i) अंतिम महत्वपूर्ण लेखांकन संव्यवहार की तारीख

(ii) ऐसे संव्यवहार की प्रकृति

संलग्नक **संलग्नकों की सूची**

1. *इस आवेदन को फाइल करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु बोर्ड के संकल्प की प्रति; संलग्न करें
2. *विशेष संकल्प की प्रति; संलग्न करें
3. *लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र; संलग्न करें
4. *कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित कार्य विवरण; संलग्न करें
5. विनियामक प्राधिकारी का अनुमोदन अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) की प्रति, यदि लागू हो; संलग्न करें
6. यदि कोई ऋण बकाया हो तो लेनदार की सम्मति; संलग्न करें
7. कंपनी का अद्यतन वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणी; संलग्न करें
8. प्रबंध अथवा स्वामित्व में कोई विवाद न होने का प्रमाण-पत्र
9. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।

संलग्नक हटाए

IndiaCode

घोषणा

मैं*

एतदद्वारा पुष्टि करता हूं कि

(i) कंपनी के विरुद्ध किसी निरीक्षण, जांच अथव अन्वेषण का आदेश नहीं दिया गया है अथवा प्रारंभ हुआ है अथवा नहीं किया जा रहा है;

(ii) किसी विधि के अधीन कंपनी के विरुद्ध कोई अभियोजन चालू अथवा लंबित नहीं है;

(iii) कंपनी के पास कोई बकाया सार्वजनिक जमा नहीं है और न ही कंपनी उसकी अदायगी अथवा उस पर ब्याज की अदायगी में चूककर्ता है;

(iv) कंपनी पर कोई ऋण बकाया नहीं है अथवा यदि है तो लेनदार की सम्मति प्राप्त की गई है और इस आवेदन के साथ संलग्न है;

(v) कंपनी के प्रबंधन अथवा स्वामित्व में कोई विवाद नहीं है;

(vi) कंपनी पर केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों आदि को देय कोई सांविधिक कर, देय धन, फीस आदि देय नहीं है;

(vii) कंपनी ने कर्मकारों के बकायों की अदायगी में चूक नहीं की है;

(viii) कंपनी की प्रतिभूतियां भारत में अथवा भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं;

ix) यह आवेदन लेनदारों को धोखा देने अथवा अन्य किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है।

(X) मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख.....के संकल्प संख्याद्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाएं इस प्ररूप की विषय-वस्तु और उससे संबंधित मामलों के संबंध में पूरी की गई हैं। मैं यह और घोषणा करता हूं कि

क. इस प्ररूप और उसके संलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्ररूप से संबंधित कोई सामग्री दबाई अथवा छिपाई नहीं गई है और कंपनी द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।

ख. इस प्ररूप के साथ अपेक्षित सभी उपाबंध पूर्ण और पठनीय रूप में संलग्न हैं और उसमें दी गई सूचना प्ररूप के संलग्नकों सहित सत्य, सही और पूर्ण हैं तथा कोई तत्व नहीं छिपाई गई है।

(XI) मैं यह समझता हूं कि किसी सूचना का मिथ्या अथवा मिथ्या ब्यौरा देने अथवा कोई सामग्री छिपाने पर धारा **448** और धारा **449** के अधीन सजा हो सकती है ।

डीएससी बॉक्स

***डिजीटल हस्ताक्षर किया जाए**

*पदनाम

* निदेशक का डिन; अथवा प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डिन या पैन; अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पण: धारा के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनमें क्रमशः मिथ्या विवरण 449 और 448 हेतु दंड और मिथ्या साक्ष्य देने हेतु दंड का उपबंध है। देने

संशोधित करें | प्ररूप चेक करें | पूर्व संवीक्षा | जमा करें

इस ईप्ररूप को विवरण की शुद्धता के आधार पर कंपनियों के रजिस्टर में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी - रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी द्वारा रखी गई फाइल में लिया गया है।

IndiaCode

प्ररूप संख्या प्रकीर्ण2-

निष्क्रिय कंपनी की स्थिति का प्रमाणपत्र-

[नियम के अनुसरण में (2) की उपधारा 455 के साथ पठित धारा 4]

कारपोरेट पहचान संख्या:.....

निगमन प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख:-

कंपनी का नाम:

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि धारा (1)455के अधीन कंपनी द्वारा फाइल आवेदन के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013की धारा (2)455के उपबंधों के अनुसार उपर्युक्त नाम की कंपनी को आज निष्क्रिय कंपनी घोषित किया गया है।

मेरे हस्ताक्षर से आज दो हजार की..... के.....

तारीख को दिया गया ।

ह-/

कंपनी रजिस्ट्रार/सहायक कंपनी रजिस्ट्रार

टिप्पणि पत्र कंपनी द्वारा किए गए आवेदन के -कंपनी को निष्क्रिय कंपनी घोषित करने वाला यह प्रमाण : (5)455 आधार पर ही जारी किया जाता है। अधिनियम की धाराके उपबंधों का अनुपालन करने पर कंपनी 'सक्रिय' कंपनी की प्रास्थिति पुनः प्राप्त कर सकती है। कंपनी का नाम अधिनियम की धारा (6)455के अधीन हटाया भी जा सकता है। पणधारकों को सुझाव दिया जाता है कि www.mca.gov.in/MCA21 पर कंपनी की / अद्यतन स्थिति की जांचकरें।

प्रपत्र संख्या प्रकीर्ण3-

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 (5) और कंपनी (विविध) नियम, 2014 के नियम 7 और 8 के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

निष्क्रिय कंपनियों की विवरणी

IndiaCode

प्ररूप की भाषा O अंग्रेजी O हिंदी

प्ररूप दायर करने हेतु अनुदेश किट देखें।

1. * (क) सीआईएन [] पूर्व पूरित

(ख) जीएलएन []

2. (क) कंपनी का नाम []

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

[]

(ग) ईमेल आईडी- []

3. निष्क्रिय कंपनी का प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख- []

4. *कंपनी की प्रमुख कारबार क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा

[]

5. *उस वित्त वर्ष की अंतिम तारीख जिससे यह संबंधित है []

6. *निदेशकों की संख्या []

7. बोर्ड की आयोजित बैठकों कि विशिष्टियां

क्र.सं.	बैठक की तारीख	बैठक की तारीख को निदेशकों की संख्या	बैठक की तारीख को उपस्थित निदेशकों की संख्या
1			
2			
3			
4			

8. कंपनी के प्रबंधन में बदलाव

बदलाव की तारीख	नए प्रबंधन में प्रमुख व्यक्तियों के नाम	परिवर्तन के कारण

9. महत्वपूर्ण लेखांकन संव्यवहारों के अतिरिक्त अन्य ,संव्यवहारों का विवरण; यदि कोई हो

ब्यौरे	रकम (रुपए में)
इसके कार्यालय और अभिलेखों के रखरखाव हेतु अदायगी	
अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अदायगी	
कंपनी रजिस्ट्रार को फीस की अदायगी	

10. शेयरों के आबंटन के ब्यौरे, यदि कोई हो

(क) शेयर आबंटन की तारीख (वर्तमान वर्ष में अद्यतन तारीख)

(ख) आबंटन का प्रयोजन

(ग) आबंटित शेयरों की संख्या

(घ) प्रति शेयर अंकित मूल्य (ङ) ऐसे शेयरों का प्रदत्त मूल्य

(च) में प्राप्ति

11. *वार्षिक फीस के ब्यौरे (राशि रुपए में)

(इस प्ररूप के साथ संदत्त की जाने वाली राशि प्रविष्टि करें)

12. *क्या वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार हुआ O हां O नहीं

यदि हांविवरण तो संक्षेप में ,

13. कंपनी का शेयरधारण पैटर्न

IndiaCode

क्र.सं.	शेयरधारकों का वर्ग	को प्रतिशत	को प्रतिशत
1.	सरकार (केंद्रीय और राज्य)		
2.	सरकारी कंपनियां		
3.	लोक वित्तीय संस्थान		
4.	राष्ट्रीयकृत अथवा अन्य बैंक		
5.	पारस्परिक निधि		
6.	वैंचर कैपिटल		
7.	**विदेशी होल्डिंग (विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी कंपनियां, अप्रवासी भारतीय, विदेशी वित्तीय संस्थान अथवा विदेशी कारपोरेट निकाय)**		
8.	कारपोरेट निकाय (जो ऊपर उल्लिखित नहीं है)		
9.	निदेशक अथवा निदेशकों के नातेदार		
10.	अन्य शीर्ष ऊपर उल्लिखित के) शेयरधारक 50 (अतिरिक्त		
11.	अन्य		
12.	कुल		
	शेयरधारकों की कुल संख्या		

IndiaCode

संलग्नक

1. *यह घोषणा फाइल करने हेतु अनुमोदन दर्शाने वाले बोर्ड के संकल्प की प्रति; संलग्न करें
2. *वित्तीय स्थिति का विहित रूप से लेखापरीक्षित विवरण; संलग्न करें
3. वैकल्पिक उपाबंधयदि कोई हो। , संलग्न करें

घोषणा

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख.....के संकल्प संख्याद्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, यह घोषणा करता हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाएं इस प्ररूप की विषय-वस्तु और उससे संबंधित मामलों के संबंध में पूरी की गई हैं। मैं यह और घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप के उपाबंधों सहित ऊपर दी गई सभी सूचनाएं सत्य, सही और पूर्ण हैं।

आज की तारीख में कंपनी की प्रास्थिति अधिनियम की धारा 455(1) के अधीन निष्क्रिय कंपनी बनी हुई है।

*डिजीटल हस्ताक्षर किया जाए डीएससी बॉक्स

*पदनाम

*निदेशक का डिन; अथवा प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डिन या पैन; अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पण: धाराके उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनमें क्रमशः मिथ्या विवरण देने हेतु दंड और मिथ्या साक्ष्य देने हेतु दंड का उपबंध है। 448

संशोधित करें | प्ररूप चेक करें | पूर्व संवीक्षा | जमा करें

कार्यालय प्रयोग हेतुः

फाइलिंग ब्यौरे संलग्न करें

ई (एसआरएन) प्ररूप सेवा [] ख्या-ई फार्म फाइल करने []
(वर्ष/मास/दिन)

एतद्द्वारा प्ररूप को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर

जमा की पुष्टि करें

हस्ताक्षर की तारीख (वर्ष/मास/दिन)

प्ररूप संख्या प्रकीर्ण4-

[कंपनी अधिनियम की धारा 455 (5) और नियम देखें 8]

सत्यमेव जयते

सक्रिय कंपनी की प्रास्थिति प्राप्त करने हेतु आवेदन

IndiaCode

प्ररूप की भाषा O अंग्रेजी O हिंदी

प्ररूप फाइल करने के लिए अनुदेश किट देखें।

1. * (क) सीआईए [] पूर्व पूरित

(ख) (b) जीएलएन []

2. (क) कंपनी का नाम []

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

[]

(ग) ईमेल आईडी- []

3. *निष्क्रिय कंपनी की प्रास्थिति अभिप्राप्त करने हेतु फाइल प्ररूप संख्या प्रकीर्ण का एसआरएन 1 []

4. प्ररूप प्रकीर्ण में फाइल अद्यतन घोषणा का एसआरएन 3 []

5. *कंपनी से निष्क्रिय स्थिति में रही

6. *निष्क्रिय प्रास्थिति का कारण (4)455 किसी भावी परियोजना के लिए अथवा धारा)के अधीन नोटिस का उत्तर देने में चूक के कारण अथवा किसी अन्य कारण से(

[]

मैं * []

एतद्द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार कंपनी की प्रास्थिति

निष्क्रिय से सक्रिय करने हेतु आवेदन करता हूं ।

संलग्नक

1.*इस आवेदन को फाइल करने हेतु बोर्ड अनुमोदन दर्शाने वाले संकल्प की प्रति; संलग्न करें

2. **वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो ।** संलग्न करें

घोषणा

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख.....के संकल्प संख्याद्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाएं इस प्ररूप की विषय-वस्तु और उससे संबंधित मामलों के संबंध में पूरी की गई हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि

* **डिजीटल हस्ताक्षर किया जाए** डीएससी बॉक्स

* पदनाम

* निदेशक का डिन; अथवा प्रबंधक अथवा सीईओ अथवा सीएफओ कि डिन अथवा पैन; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पणके उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनमें क्रमशः मिथ्या विवरण देने 449 और 448 धारा : हेतु दंड और मिथ्या साक्ष्य देने हेतु दंड का उपबंध है।.

संशोधित करें | प्ररूप चेक करें | पूर्व संवीक्षा | जमा करें

केवल कार्यालय प्रयोग हेतुः फाइलिंग ब्यौरे संलग्न करें

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या) एसआरएन ई-फार्म फाइल करने की तारीख)दिन/मास/वर्ष (

प्राधिकृत अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर

एतद्द्वारा प्ररूप को अनुमोदित किया जाता है जमा की पुष्टि करें

एतद्द्वारा यह प्ररूप अस्वीकार किया जाता है

हस्ताक्षर की तारीख (वर्ष/मास/दिन)

प्ररूप संख्या प्रकीर्ण5-

सक्रिय कंपनी की प्रास्थिति का प्रमाणपत्र-

[नियम (2)8के साथ पठित धारा की 4553पधारा के अनुसरण में (5)]

कारपोरेट पहचान संख्याः.....

IndiaCode

निगमन प्रमाणपत्र जारी होने की तारीखः-

कंपनी का नामः

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि धारा 455(5) के अधीन कंपनी द्वारा फाइल किए गए आवेदन के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455(5) के उपबंधों के अनुसार उपर्युक्त नाम की कंपनी को आज सक्रिय कंपनी घोषित किया गया है।

मेरे हस्ताक्षर से आज दो हजारकेकी के..... तारीख को दिया गया

ह/-

कंपनी रजिस्ट्रार/उप कंपनी रजिस्ट्रार/सहायक कंपनी रजिस्ट्रार

टिप्पणः कंपनी को सक्रिय कंपनी घोषित करने वाला यह प्रमाण-पत्र कंपनी द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर ही जारी किया जाता है। पणधारकों को सलाह दी जाती है कि www.mca.gov.in/MCA21/ पर कंपनी की अद्यतन प्रास्थिति की जांच करें।

[फा. सं. 01/25/2013-सीएल-V]
रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R. 253(E).—In exercise of the powers conferred under section 455, sub-section (2) of section 459 and sub-section (1) of section 464 read with section 469 of the Companies Act, 2013, and in supersession of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 or any other rules prescribed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Miscellaneous) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.

2. **Definitions.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Annexure" means Annexure enclosed to these Rules;

(c) "Fees" means fees as prescribed in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014;

(d) "Form" or "e-Form" means a form set forth in Annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates;

(e) "section" means section of the Act;

(2) Words and expressions used in these rules but not defined, and defined in the Act or in the Company (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the said Rules.

IndiaCode

3. Application for obtaining status of dormant company.- For the purposes of sub-section (1) of section 455, a company may make an application in Form **MSC-1** along with such fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 to the Registrar for obtaining the status of a Dormant Company in accordance with the provisions of section 455 after passing a special resolution to this effect in the general meeting of the company or after issuing a notice to all the shareholders of the company for this purpose and obtaining consent of at least 3/4th shareholders (in value):

Provided that a company shall be eligible to apply under this rule only, if-

(i) no inspection, inquiry or investigation has been ordered or taken up or carried out against the company;

(ii) no prosecution has been initiated and pending against the company under any law;

(iii) the company is neither having any public deposits which are outstanding nor the company is in default in payment thereof or interest thereon;

(iv) the company is not having any outstanding loan, whether secured or unsecured:

Provided that if there is any outstanding unsecured loan, the company may apply under this rule after obtaining concurrence of the lender and enclosing the same with Form **MSC-1** ;

(v) there is no dispute in the management or ownership of the company and a certificate in this regard is enclosed with Form **MSC-1**;

(vi) the company does not have any outstanding statutory taxes, dues, duties etc. payable to the Central Government or any State Government or local authorities etc.;

(vii) the company has not defaulted in the payment of workmen's dues;

(viii) the securities of the company are not listed on any stock exchange within or outside India.

4. Certificate of status of dormant company.- The Registrar shall, after considering the application filed in Form **MSC-1**, issue a certificate in Form **MSC-2** allowing the status of a Dormant Company to the applicant.

5. Register of dormant companies.- The Register maintained under the portal maintained by the Ministry of Corporate Affairs on its web-site www.mca.gov.in or any other website notified by the Central Government, shall be the register for dormant companies.

6. Minimum number of directors for dormant company.- A dormant company shall have a minimum number of three directors in case of a public company, two directors in case of a private company and one director in case of a One Person Company:

Provided that the provisions of the Act in relation to the rotation of auditors shall not apply on dormant companies.

7. Return of dormant companies.- A dormant company shall file a "Return of Dormant Company" annually, inter-alia, indicating financial position duly audited by a chartered accountant in practice in Form **MSC-3** along with such annual fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 within a period of thirty days from the end of each financial year:

Provided that the company shall continue to file the return or returns of allotment and change in directors in the manner and within the time specified in the Act, whenever the company allots any security to any person or there is any change in the directors of the company.

8. Application for seeking status of an active company.- (1) An application, under sub-section (5) of section 455, for obtaining the status of an active company shall be made in Form **MSC-4** along with fees as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 and shall be accompanied by a return in Form **MSC-3** in respect of the financial year in which the application for obtaining the status of an active company is being filed:

Provided that the Registrar shall initiate the process of striking off the name of the company if the company remains as a dormant company for a period of consecutive five years.

(2) The Registrar shall, after considering the application filed under sub-rule (1), issue a certificate in Form **MSC-5** allowing the status of an active company to the applicant.

(3) Where a dormant company does or omits to do any act mentioned in the Grounds of application in Form **MSC-1** submitted to Registrar for obtaining the status of dormant company, affecting its status of dormant company, the directors shall within seven days from such event, file an application, under sub-rule (1) of this rule, for obtaining the status of an active company.

(4) Where the Registrar has reasonable cause to believe that any company registered as 'dormant company' under his jurisdiction has been functioning in any manner, directly or indirectly, he may initiate the proceedings for enquiry under section 206 of the Act and if, after giving a reasonable opportunity of being heard to the company in this regard, it is found that the company has actually been functioning, the Registrar may remove the name of such company from register of dormant companies and treat it as an active company.

9. Fees for application to Central Government.- For the purposes of sub-section (2) of section 459, every application which may be, or is required to be, made to the Central Government under any provision of the Act-

(a) in respect of any approval, sanction, consent, confirmation or recognition to be accorded by that Government to, or in relation to, any matter; or

(b) in respect of any direction or exemption to be given or granted by that Government in relation to any matter; or

(c) in respect of any other matter,

shall be accompanied by such fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

10. Association or partnership of persons exceeding certain number. - No association or partnership shall be formed, consisting of more than fifty persons for the purpose of carrying on any business that has for its objects the acquisition of gain by the association or partnership or by individual members thereof, unless it is registered as a company under the Act or is formed under any other law for the time being in force.

FORM NO. MSC.1

[Pursuant to sub-section (1) of section 455 of The Companies Act, 2013 read with rule 3 of the Companies (Miscellaneous) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Application to Registrar for obtaining the status of dormant company

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. *Whether the company is incorporated under
 o Companies Act 2013o Any previous Companies Act

2. (a) *CIN [] **Pre-fill**
 (b) GLN []

3. (a) Name of the company []

(b) Registered office address []

(c) email Id []

4. Type of company []

5. Date of incorporation of the company []

6. Object of the company as per Memorandum of Association (MOA) []

7. (a) *Date of passing board resolution

(b) *Date of passing special resolution

(c) *SRN of Form filed for special resolution

8. (a) *Whether the objects of the company are being regulated under any special Act

O Yes O No

*(b) (i) Name of the regulatory body

(ii) Date of obtaining the approval/NOC of regulatory body for obtaining the status of a dormant company

(iii) Order number

9. (a) *Number of directors

(b) Particulars in respect of each director

(i) *Director identification number (DIN) Pre-fill

(ii) Name

(iii)*Designation

(iv)*Category

IndiaCode

10. *Grounds of application

- The company is formed and registered under the Companies Act, 2013 for
 - o any future project.
 - o holding an asset or intellectual property.

 AND
- The company has no significant transaction since incorporation.
- The Company has not been carrying on any business or operation since
- The company has not made any significant accounting transaction during the last two financial years.
- The company has not filed financial statements and annual returns during the last two financial years.

11. (a) *Whether the company have any assets or liabilities O Yes O No

(b) (i)Financial year end date to which last financial statement and annual return pertains

(ii) Date on which last financial statement and annual return were filed

(Attach the latest financial statement and annual return of the company)

(iii) *If the financial statement and annual return is not filed for any year in the last two financial years, reasons thereof

(c) (i) Date on which last significant accounting transaction was made

(ii) Nature of such transaction

Attachments

1 *Copy of board resolution authorizing making of this application;
2. *Copy of special resolution;
3 *Auditor's certificate;
4. Statement of affairs duly certified by Chartered Accountant or Auditor(s) of the company;
5. Copy of approval or no objection certificate (NOC) from the regulatory authority, if Applicable;
6. Consent of the lender if any loan is subsisting;
7. latest financial statement and annual return of the company;
8. Certificate regarding no dispute in the management or ownership;
9. Optional attachment(s), if any.

Attachment
Attachment
Attachment
Attachment
Attachment
Attachment
Attachment
Attachment
Attachment

List of attachments

Remove Attachment

Declaration

I *, hereby confirm that

(i) no inspection, inquiry or investigation has been ordered or taken up or carried out against the company;
(ii) no prosecution has been initiated or pending against the company under any law;
(iii) the company is neither having any public deposits which are outstanding nor the company is in default in payment thereof or interest thereon;
(iv) the company is not having any outstanding loan or if there is any, the concurrence of the lender has been obtained and is enclosed herewith this application;
(v) there is no dispute in the management or ownership of the company;
(vi) the company does not have any outstanding statutory taxes, dues, duties etc. payable to the Central Government or any State Government or local authorities etc.;
(vii) the company has not defaulted in the payment of workmen's dues;
(viii) the securities of the company are not listed on any stock exchange within or outside India;
(ix) this application has not been made with an objective to deceive the creditors or to defraud any other person.
(x) I am authorized by the Board of Directors of the company vide resolution number * dated* to sign this form and declare that all the requirements of The Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that

a Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
b All the required attachments have been completely and legibly attached to this form all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

(xi) I understand that furnishing any false or incorrect particulars of any information or Suppression of any material information shall attract punishment under section 448 and 449.

***To be digitally signed by** DSC

*Designation

*DIN of the director; DIN or Income Tax PAN of the manager or CEO or CFO; or membership number of

company secretary

Note: Attention is drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

Form No. MSC-2

Certificate of status of a Dormant Company

[Pursuant to sub-section (2) of section 455 read with rule 4 of Companies (Miscellaneous) Rules, 2014]

Corporate Identity Number: ----------

Date of issue of certificate of incorporation:

Name of the company:

I hereby certify that the above named company has this day been declared as Dormant Company as per the provisions of Section 455(2) of the Companies Act, 2013 on the basis of the application filed by the Company under Section 455(1).

Given under my hand at ---------- this ---- day of ------two thousand---

Sd/-

ROC/DROC/AROC

State

Note: This certificate declaring the dormant status of the Company is being issued on the basis of the application filed by the Company only. The Company may get its status revived to 'Active' on compliance of the provisions of Section 455(5) of the Act. The name of the Company can also be struck off under Section 455(6) of the Act. The stakeholders are advised to check the latest status of the Company on www.mca.gov.in/MCA21/.

IndiaCode

FORM NO. MSC.3

[Pursuant to Section 455(5) of The Companies Act, 2013 and rule 7 and 8 of the Companies (Miscellaneous) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Return of dormant companies

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. *(a) CIN **Pre-fill**

(b) GLN

2. (a) Name of the company

(b) Registered office address

(c) email Id

3. Date of issue of certificate of dormant company

4. *Brief particulars of the principal business activities of the company

5. *Financial year end date to which this return relates

6. *Number of directors

7. Particulars of the Board meeting(s) held

S. No.	Date of meeting	Total number of Directors as on the Date of Meeting	Total No. of Directors present in the Date of Meeting
1			
2			
3			
4			

8. Change in the management of the company

Date of change	Names of the key persons in the new Management	Reason(s) of change

IndiaCode

9. Statement of transactions other than significant accounting transactions; if any

Particulars	Amount (in Rupees)
Payments for maintenance of its office and records	
Payments made to fulfill the requirements of theAct	
Payment of fees to Registrar	

10. Particulars of allotment of shares, if any

(a) Date of allotting the shares (latest date in the current year)

(b) Purpose of allotment

(c) Number of shares allotted

(d) Face value per share (e) Paid up value of such shares

(f) Consideration received in

11. *Particulars of the annual fee (Amount in Rupees)

(Enter the amount to be paid along with this form)

12. *Whether any significant transaction is carried out during the year o Yes o No

If yes, brief

13. Shareholding pattern of the company

IndiaCode

S. No.	Category of share holders	Percentage as on	Percentage as on
1.	Government (Central and State)		
2.	Government Companies		
3.	Public financial institutions		
4.	Nationalized or other bank(s)		
5.	Mutual Funds		
6.	Venture Capital		
7.	Foreign holdings (Foreign Institutional Investors, Foreign companies, Non-resident Indians, Foreign financial institutions or Overseas corporate bodies)		
8.	Bodies Corporate (not mentioned above)		
9.	Directors or relatives of directors		
10.	Other top fifty shareholders (other than mentioned above)		
11.	Others		
12.	**Total**		
	Total number of shareholders		

IndiaCode

Attachments

1. *Copy of Board resolution showing authorization given for filing this declaration; Attach
2. *Duly audited statement of financial position; Attach
3. Optional attachment(s), if any. Attach

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution no* dated* to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. It is further declared that all the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.

☐ The status of the Company continues to be a Dormant Company under Section 455(1) of the Act as on date.

***To be digitally signed by** **DSC Box**

*Designation

*DIN of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary

Note: Attention is also drawn to the provisions of section 448 of the Act which provides for punishment for false statements.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only:

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

Confirm submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

FORM MSC-4

[Pursuant to Section 455(5) of the Companies Act, 2013 and rule 8 of the Companies (Miscellaneous) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Application for seeking status of active company

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. *(a) CIN

(b) GLN

Pre-fill

2. (a) Name of the company

(b) Registered office address

(c) email Id

3.*SRN of Form No. MSC.1 filed for seeking status of dormant company

4. SRN of latest declaration filed in Form No. MSC.3

5. *Company remained in dormant status since

6. *Reasons of dormant status (whether for future project or due to failure to respond to notice under sub-section (4) of section 455 or for any other reason)

I *, do hereby apply for changing the status of the Company from Dormant to Active as per the

provisions of sub- section (5) of section 455 of the Companies Act, 2013.

Attachments

1.*Copy of Board resolution authorizing the filing of this application; Attach

2. Optional attachment(s), if any Attach

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number * dated* to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. It is further declared that all the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.

IndiaCode

***To be digitally signed by** DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary

Note: Attention is also drawn to the provisions of section 448 of the Act which provides for punishment for false statements.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only :

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby approved

This e-Form is hereby rejected Confirm Submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

Form No. MSC-5

Certificate of status of an active Company

[Pursuant to sub-section (5) of section 455 read with rule 8(2) of Companies (Miscellaneous) Rules, 2014]

Corporate Identity Number: ----------

Date of issue of certificate of incorporation:

Date of issue of certificate of status as dormant company:

Name of the company:

I hereby certify that the above named company has this day been declared as Active Company as per the provisions of Section 455(5) of the Companies Act, 2013 on the basis of the application filed by the Company under Section 455(5).

Given under my hand at ---------- this ---- day of ------two thousand---

Sd/-

ROC/DROC/AROC

State

Note: This certificate declaring the active status of the Company is being issued on the basis of the application filed by the Company only. The stakeholders are advised to check the latest status of the Company on www.mca.gov.in/MCA21/.

IndiaCode

[F. No. 1/25/2013-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च 2014

सा.का.नि. 254 (अ).--केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 454 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 है ।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "उपाबंध" से इन नियमों से उपाबद्ध उपबंध अभिप्रेत है;

(ग) "फीस" से कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय तथा फीस) नियम, 2014 में निर्धारित फीस अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररुप" अथवा "ई-प्ररुप" से इन नियमों के उपाबंध में दिए गए प्ररुप अभिप्रेत हैं जिसका प्रयोग उस संबंध में किया जाना है जिससे वह संबंधित हैं;

(ङ) "प्रादेशिक निदेशक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों के प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देशन) नियम, 2014 में परिभासित हैं, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः इन अधिनियम या उक्त नियम में उनके हैं ।

3. शास्तियों का न्यायनिर्णय-(1) केन्द्रीय सरकार अधिनियम के उपबंधों के द्वारा शाक्ति का न्यायनिर्णय करने के लिए अपने किसी अधिकारी, जिसका रैंक रजिस्ट्रार से कम न हो, को न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगी।

(2) शास्ति का न्यायनिर्णय करने से पूर्व, न्यायनिर्णयन अधिकारी कंपनी और कंपनी के प्रत्येक अधिकारी, जो चूक कर रहा हो, को इस आशय का एक लिखित नोटिस जारी करेगा कि अवधि, जैसी कि नोटिस में निर्धारित की जाए (जो नोटिस की तामील के पंद्रह दिन से कम और 45 दिन से अधिक न हो), के अंदर कारण बताया जाए कि उसके विरूद्ध जांच क्यों नहीं की जाए :

परंतु इस उप-नियम के अधीन जारी प्रत्येक नोटिस में अधिनियम के अंतर्गत यथास्थिति उक्त कंपनी अथवा चूककर्ता अधिकारी द्वारा तथाकथित रूप से किए गए गैर अनुपालन अथवा चूक, की प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख किया जाए;

परंतु यह और कि यदि कंपनी अथवा अधिकारी (जो भी लागू हो) उक्त अधिकारी का समाधान करता है कि उसके पास अनुबद्ध अवधि में नोटिस का प्रत्युत्तर न देने का पर्याप्त कारण है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी कारण लेखबद्ध करके उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि को आगे और बढ़ा सकता है जो पंद्रह दिन से अधिक नहीं होगी।

(3) यदि उक्त कंपनी अथवा अधिकारी द्वारा दर्शित किए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद न्यायनिर्णयन अधिकारी का यह राय हो कि जांच होनी चाहिए तो वह उक्त कंपनी को अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा उक्त कंपनी के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत होने की तारीख निर्धारित करते हुए एक नोटिस जारी करेगा।

(4) सुनवाई की नियत तारीख को और संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद न्यायनिर्णयन अधिकारी कारण लेखबद्ध किए जाने के अधीन कोई आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह ठीक समझे जिसमें किसी अगली तारीख तक सुनवाई स्थगन करने का आदेश शामिल है।

(5) उप नियम (4) के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(6) न्यायनिर्णयन अधिकारी अपने द्वारा पारित आदेश की प्रति संबंधित कंपनी अथवा अधिकारी, जिसने चूक की है को तथा केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

(7) जांच के दौरान न्यायनिर्णयन अधिकारी निम्नलिखित शाक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात्:-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मन देना तथा उपस्थित होने के लिए बाध्य करना जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी हो;

(ख) साक्ष्य के लिए अथवा कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए आदेश देना जो न्यायनिर्णयन अधिकारी के विचार में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी अथवा प्रासंगिक हो।

(8) यदि कोई व्यक्ति उप- नियम (7) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने में असफल रहता है, उपेक्षा करता है अथवा इंकार करे तो न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करके उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच पर आगे कार्रवाई कर सकेगा।

(9) शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णय करते समय न्यायनिर्णयन अधिकारी निम्नलिखित कारकों का सम्यक ध्यान रखेगा, अर्थात्:-

(क) चूक के परिणामस्वरूप प्राप्त असंगत लाभ अथवा अनुचित हित जहां परिमापक हो, की रकम;

(ख) चूक के परिणामस्वरूप किसी निवेशक अथवा निवेशकों के समूह अथवा लेनदारों को होने वाली हानि की रकम;

(ग) चूक को दोहराने की प्रकृति।

(10) अधिनियम के अधीन शास्तियों के रूप में प्राप्त समस्त राशियां भारत की संचित निधि के नामे डाली जाएगी।

4. न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील- (1) न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रत्येक अपील व्यथित पक्षकार द्वारा न्यायनिर्णयन अधिकारी का आदेश प्राप्त करने की तारीख से साठ दिन की अवधि के अंदर **एडीजे** प्ररुप, जिसमें अपील के कारण दिए गए हों, में मामले के क्षेत्राधिकार वाले प्रादेशिक निदेशक को लिखित रूप में फाइल की जाएगी और उसके साथ आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की जानी है, की एक प्रमाणित प्रति भी लगाई जाएगी;

परंतु जहां पक्ष का प्रतिनिधित्व किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया गया हो, प्रतिनिधि के पक्ष में उक्त प्राधिकार की एक प्रतिलिपि तथा उक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उसके लिए लिखित सम्मति भी अपील के साथ संलग्न की जाएगी:

परंतु यह और कि प्ररुप एडीजे में जब तक मांगी गई छूट परिणामी न हो, एक से अधिक आदेश के विरूद्ध छूट न मांगी जाए।

(2) इस नियम के अधीन फाइल प्रत्येक अपील के साथ कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय एवं फीस) नियम, 2014 में यथा उपबंधित ऐसी फीस लगाई जाएगी।

5. अपील का रजिस्ट्रीकरण- (1) अपील प्राप्त होने पर प्रादेशिक निदेशक का कार्यालय उक्त अपील पर तिथि पृष्ठांकित करेगा तथा उक्त पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) यदि, संवीक्षा करने पर, अपील सही पाई जाती है तो इसे सम्यक रुप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और एक क्रम संख्या दी जाएगी;

परंतु कि यदि अपील में त्रुटि पाई जाती है तो प्रादेशिक निदेशक अपीलार्थी को त्रुटि में सुधार के लिए समय, जो प्रादेशिक निदेशक से अपीलार्थी द्वारा त्रुटि की प्रकृति संबंधी सूचना की प्राप्ति के बाद चौदह दिन से कम न हो, की अनुमति देगा तथा यदि अपीलार्थी उपर्युक्त अनुमत समयावधि में उक्त त्रुटियों में सुधार नहीं कर पाता है तो प्रादेशिक निदेशक आदेश द्वारा तथा कारण लेखबद्ध करके उक्त अपील को दर्ज करना अस्वीकार करेगा तथा इस अस्वीकृति की सूचना सात दिन की अवधि के अंदर अपीलार्थी को देगा;

परंतु यह और कि यदि अपीलार्थी प्रादेशिक निदेशक का समाधान करता है कि अपीलार्थी के पास प्रथम उपबंध में उल्लिखित चौदह दिन की अवधि के अंदर त्रुटियों को सुधार न कर पाने के पर्याप्त कारण हैं तो प्रादेशिक निदेशक कारण लेखबद्ध करके उपर्युक्त प्रथम उपबंध में निर्दिष्ट अवधि को आगे और चौदह दिनों के लिए बढाएगा।

6. प्रादेशिक निदेशक द्वारा अपील का निपटानः (1) अपील फाइल होने पर प्रादेशिक निदेशक न्यायनिर्णयन अधिकारी जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही है, को अपील की एक प्रति और एक नोटिस जिसमें अवधि, जैसी कि उक्त नोटिस में प्रादेशिक निदेशक द्वारा निर्धारित की जाए और जो इक्कीस दिन से अधिक न हो, के अंदर उसका उत्तर फाइल करने की अपेक्षा के साथ एक नोटिस देगा;

पंरतु यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी प्रादेशिक निदेशक का समाधान करता है कि इक्कीस दिन की उपरोक्त अवधि में अपील का उत्तर न देने के लिए उनके पास पर्याप्त कारण हैं तो प्रादेशिक निदेशक कारण लेखबद्ध करके उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित अवधि को इक्कीस दिन के लिए और आगे बढ़ाएगा।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा प्रादेशिक निदेशक को प्रस्तुत प्रत्येक उत्तर, आवेदन अथवा लिखित अभ्यावेदन की प्रतिलिपि न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दी जाएगी।

(3) प्रादेशिक निदेशक पक्षों को अपील की सुनवाई की तारीख अधिसूचित करेगा जो अपील की सुनवाई की उक्त अधिसूचना की तारीख के बाद तीस दिन से पहले की तारीख नहीं होगी।

(4) प्रादेशिक निदेशक सुनवाई के लिए नियत तारीख को कारण लेखबद्ध किए जाने के अधीन कोई आदेश, जैसा कि वह ठीक समझे, पारित करेगा जिसमें सुनवाई को भविष्य में किसी तारीख तक स्थगन करने का आदेश भी शामिल है।

(5) यदि अपीलार्थी अथवा न्यायनिर्णयन अधिकारी सुनवाई के लिए नियत तारीख को उपस्थित नहीं होता है तो प्रादेशिक निदेशक अपील का एकपक्षीय निपटान कर सकेगा।

परंतु यदि अपीलार्थी बाद में उपस्थित होता है और प्रादेशिक निदेशक का समाधान हो जाता है कि उसके उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण है, तो प्रादेशिक निदेशक एकपक्षीय आदेश को रद्द करने और अपील को प्रत्यावर्तित करने का आदेश दे सकता है।

(6) इस नियम के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश प्रादेशिक निदेशक द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(7) प्रादेशिक निदेशक द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रमाणित प्रति तत्काल न्यायनिर्णयन अधिकारी और उसी समय अपीलार्थी को तथा केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

प्ररूप संख्या न्याय निर्णय

[*कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 454(5) और नियम 4(1) के अनुसरण में***]**

सत्यमेव जयते

अपील ज्ञापन

प्ररूप की भाषा O अंग्रेजी O हिंदी

प्ररूप फाइल करने हेतु अनुदेश किट देखें ।

प्रादेशिक निदेशक के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

और

[] द्वारा [] को दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील के मामले में

1. *अपीलार्थी की कोटि

2. *कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) अथवा विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन) पूर्व भरें

3. (क) कंपनी का नाम

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अथवा कारबार के प्रमुख स्थल का पता

(ग) कंपनी का ई-मेल पता

4. अपीलार्थी के ब्यौरे

(क) *डिन/पैन/पासपोर्ट संख्या पूर्व भरें

(ख) *नाम

(ग) पता *पंक्ति I

पंक्ति II

(घ) *शहर

(ङ) *राज्य (च) *आईएसओ राष्ट्र कोड

(छ) देश

(ज) *पिन कोड

(झ) *अपीलार्थी का ई-मेल आईडी

5. * **प्रत्यर्थी के ब्यौरे**

(क) न्यायनिर्णयन अधिकारी

'अन्य' विनिर्दिष्ट करें

(ख) पता

IndiaCode

6. * वह धारा जिसके अधीन शास्ति अधिरोपित की गई

7. * अधिरोपित शास्ति (रकम रुपए में)

8. * शास्ति का कारण

9. कारावास के ब्यौरे (यदि कोई हो)

10. सुसंगत प्ररुप संख्या विनिर्दिष्ट करें (यदि कोई हो)

11. ऊपर विनिर्दिष्ट प्ररुप की क्रम संख्या

12. *मामले का सार

13. *अपील के आधार

14. *मांगी गई रियायत

15. *मांगी गई अंतरिम रियायत (यदि कोई हो)

16. * शास्ति आदेश की प्रमाणित प्रति जारी होने की तारीख

IndiaCode

17. वह सम्यक तारीख जिसको आदेश फाइल किया जाना है

18. विलंब, दिनों में

19. आदेश फाइल करने में विलंब का कारण

20. दी गई माफी के ब्यौरे (यदि कोई हो)

21. *प्रादेशिक निदेशक की अधिकारिता

अपीलार्थी यह घोषित करता है कि अपील की विषय वस्तु प्रादेशिक निदेशक की अधिकारिता के भीतरहै।

संलग्नक

1. * जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही उसकी प्रमाणित-प्रति; संलग्न करें
2. प्राधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्राधिकार पत्र की प्रति; संलग्न करें
3. विलंब के लिए माफी का आदेश; संलग्न करें
4. वैकल्पिक उपाबंध, यदि कोई हो. संलग्न करें

IndiaCode

घोषणा

☐ मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख के संकल्प संख्या द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हैं।

☐ मैं विषयाधीन मामले में चूककर्ता अधिकारी की व्यक्तिगत हैसियत से यह प्ररूप फाइल कर रहा हूं और एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हैं।

☐ मैं यह और प्रमाणित करता हूं कि इस प्ररूप के उपाबंधों सहित ऊपर दी गई सभी सूचनाएं सत्य, सही और पूर्ण हैं और कोई महत्वपूर्ण सचूना नहीं छुपाई गई है।

☐ मैं यह भी घोषित करता हूं कि इसी मामले पर किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई अन्य अपील,वाद, सिविल पुनरीक्षा या कोई अन्य कानूनी कार्रवाई लंबित नहीं है।

***डिजीटल हस्ताक्षर किया जाए**

डीएससी बॉक्स

*वर्ग

*प्राधिकृत प्रतिनिधि का पैन; अथवा अपीलार्थी का डिन/पैन अथवा पासपोर्ट संख्या; अथवा निदेशक का डिन, अथवा प्रबंधक या सीईओ का डिन या पैन; अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पण: धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनमें क्रमशः मिथ्या विवरण देने हेतु दंड और मिथ्या साक्ष्य देने हेतु दंड का उपबंध है ।

संशोधित करें | प्ररूप चेक करें | पूर्व संवीक्षा | जमा करें

कार्यालय प्रयोग हेतुः

फाइलिंग ब्यौरे संलग्न करें

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ☐ ई-प्ररुप फाइल करने की तारीख ☐ (दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर

एतदद्वारा प्ररूप को अनुमोदित किया जाता है ☐

एतदद्वारा यह प्ररूप अस्वीकार किया जाता है ☐

हस्ताक्षर की तारीख ☐ (दिन/मास/वर्ष)

जमा की पुष्टि करें

फा. सं. 01/25/2013-सीएल-5

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, The 31st March, 2014

G.S.R. 254 (E).— In exercise of the powers conferred by section 454 read with section 469 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.

2. Definitions. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Annexure" means the Annexure enclosed to these Rules;

(c) "Fees" means fees as prescribed in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014;

(d) "Form" or 'e-Form" means a form set forth in Annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates;

(e) "Regional Director" means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director;

(f) "section" means section of the Act;

(2) Words and expressions used in these rules but not defined, and defined in the Act or in the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the said Rules.

3. Adjudication of penalties.- (1) The Central Government may appoint any of its officers, not below the rank of Registrar, as adjudicating officers for adjudging penalty under the provisions of the Act.

(2) Before adjudging penalty, the adjudicating officer shall issue a written notice to the company and to every officer of the company who is in default, to show cause, within such period as may be specified in the notice (not being less than fifteen days and more than forty five days from the date of service thereon), why the inquiry should not be held against him:

Provided that every notice issued under this sub-rule, shall clearly indicate the nature of non-compliance or default under the Act alleged to have been committed or made by such company and officer in default, as the case may be:

Provided further that the adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, extend the period referred to above by a further period not exceeding fifteen days, if the company or officer (as applicable) satisfies the said officer that it has sufficient cause for not responding to the notice within the stipulated period.

(3) If, after considering the cause, if any, shown by such company or officer, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice fixing a date for the appearance of such company, through its authorised representative, or officer of such company whether personally or through his authorised representative

IndiaCode

(4) On the date fixed for hearing and after giving a reasonable opportunity of being heard to the person(s) concerned, the adjudicating officer may, subject to reasons to be recorded in writing, pass any order as he thinks fit including an order for adjournment of the hearing to a future date.

(5) Every order passed under sub-rule (4), shall be dated and signed by the adjudicating officer.

(6) The adjudicating officer shall send a copy of the order passed by it to the concerned company or officer who is in default and to the Central Government.

(7) While holding an inquiry, the adjudicating officer shall have the following powers, namely:—

(a) to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case;

(b) to order for evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(8) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (7) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(9) While adjudging quantum of penalty, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely:—

(a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default;

(b) the amount of loss caused to an investor or group of investors or creditors as a result of the default;

(c) the repetitive nature of the default.

(10) All sums realised by way of penalties under the Act shall be credited to the Consolidated Fund of India.

4. Appeal against the order of adjudicating officer.—(1) Every appeal against the order of the adjudicating officer shall be filed in writing with the Regional Director having jurisdiction in the matter within a period of sixty days from the date of receipt of the order of adjudicating officer by the aggrieved party, in Form **ADJ** setting forth the grounds of appeal and shall be accompanied by a certified copy of the order against which the appeal is sought:

Provided that where the party is represented by an authorised representative, a copy of such authorisation in favour of the representative and the written consent thereto by such authorised representative shall also be appended to the appeal:

Provided further that an appeal in Form **ADJ** shall not seek relief(s) therein against more than one order unless the reliefs prayed for are consequential.

(2) Every appeal filed under this rule shall be accompanied by such fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

5. Registration of appeal.—(1) On the receipt of an appeal, office of the Regional Director shall endorse the date on such appeal and shall sign such endorsement.

(2) If, on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number:

Provided that where the appeal is found to be defective, the Regional Director may allow the appellant such time, not being less than fourteen days following the date of receipt of intimation by the appellant from the Regional Director about the nature of the defects, to rectify the defects and if the appellant fails to rectify such defects within the time period allowed as above, the Regional Director may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the appellant within a period of seven days thereof:

Provided further that the Regional Director may, for reasons to be recorded in writing, extend the period referred to in the first proviso above by a further period of fourteen days if an appellant satisfies the Regional Director that the appellant had sufficient cause for not rectifying the defects within the period of fourteen days referred to in the first proviso.

6. Disposal of appeal by Regional Director.—(1) On the admission of the appeal, the Regional Director shall serve a copy of appeal upon the adjudicating officer against whose order the appeal is sought along-with a notice requiring such adjudicating officer to file his reply thereto within such period, not exceeding twenty-one days, as may be stipulated by the Regional Director in the said notice:

Provided that the Regional Director may, for reasons to be recorded in writing, extend the period referred to in sub-rule (1) above for a further period of twenty-one days, if the adjudicating officer satisfies the Regional Director that he had sufficient cause for not being able to file his reply to the appeal within the above-said period of twenty-one days.

(2) A copy of every reply, application or written representation filed by the adjudicating officer before the Regional Director shall be forthwith served on the appellant by the adjudicating officer.

(3) The Regional Director shall notify the parties, the date of hearing of the appeal which shall not be a date earlier than thirty days following the date of such notification for hearing of the appeal.

(4) On the date fixed for hearing the Regional Director may, subject to the reasons to be recorded in writing, pass any order as he thinks fit including an order for adjournment of the hearing to a future date.

(5) In case the appellant or the adjudicating officer does not appear on the date fixed for hearing, the Regional Director may dispose of the appeal *ex-parte:*

Provided that where the appellant appears afterwards and satisfies the Regional Director that there was sufficient cause for his non-appearance, the Regional Director may make an order setting aside the *ex-parte* order and restore the appeal.

(6) Every order passed under this rule shall be dated and signed by the Regional Director.

(7) A certified copy of every order passed by the Regional Director shall be communicated to the adjudicating officer and to the appellant forthwith and to the Central Government.

Annexure

FORM NO. ADJ

[Pursuant to Section 454(5) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Memorandum of Appeal

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

Before the Regional Director

In the matter of the Companies Act, 2013

And

In the matter of appeal against the order made on by

1.*Category of Appellant

2.*Corporate identity number (CIN) or Foreign Company registration number (FCRN) Pre-fill

3. (a) Name of the company

(b) Address of the registered office or principal place of business in India

(c) email id of the company

4.**Details of appellant**

(a) *DIN/PAN/Passport number Pre-fill

(b)*Name

(c) Address *Line I

Line II

(d)*City

(e)*State (f)*ISO Country Code

(g) Country

(h) *Pin Code

(i) *email id

5.* **Details of the respondent**

(a) Adjudicating officer

Specify 'Others'

(b) Address

6.* Section under which penalty was imposed

7.* Penalty imposed (Amount in Rupees)

8.* Reason for Penalty

9. Details of imprisonment (if any)

10. Specify the relevant Form number (if any)

11. SRN of the form specified above

IndiaCode

12. *Synopsis of case

13.*Grounds of appeal

14.*Relief sought

IndiaCode

15.*Interim relief sought(if any)

16. *Date of issuing certified copy of Penalty order

17. Due date by which the order has to be filed

18. Delay in days

19. Reason for delay in filing the order

20. Details of the Condonation given(if any)

21. *Jurisdiction of Regional Director

The appellant declares that the subject matter of appeal falls within the jurisdiction of the Regional Director.

Attach

Attachments

1.* Certified copy of the order against which appeal is sought; Attach

2. Copy of authorization in favor of authorized representative; Attach

3. Order of condonation of delay; Attach

4 . Optional attachment(s), if any.

Declaration

- ☐ I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number [] Dated [] to sign this form and declare that all the requirements of The Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.
- ☐ I am filing this form in my individual capacity as Officer in default in the captioned matter and hereby certify that all the requirements of The Companies Act, 2013 and rules made there under have been complied within respect of subject matter of this form.
- ☐ I also certify that all the information given hereinabove is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.
- ☐ It is further declared that no other appeal, suit, civil revision or any other legal proceedings is pending before any authority on the similar matter.

IndiaCode

*To be digitally signed by DSC Box

*Category []

*PAN of the Authorized representative; or DIN/PAN or passport number of the appellant; or DIN of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company Secretary []

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only :

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) [] eForm filing date [] (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby approved []

This e-Form is hereby rejected [] Confirm Submission

Date of signing [] (DD/MM/YYYY)

[F. No. 1/25/2013-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.